

प्रश्न सं. [क. 2034]



मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजना अन्तर्गत डाक व्यय को पूर्व
अदायगी डाक द्वारा भेजे जाने के
लिए अनुमत.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 531]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 27 अगस्त 2008—भा. 5, शक 1930

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 26 अगस्त 2008

क्र. एफ-1(बी)-10-2007-चौदह-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परस्पर द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्वारा, मध्यप्रदेश अधीनस्थ कृषि (लिपिक वर्गीय) सेवा भर्ती नियम, 1972 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में, अनुसूची—एक, दो, तीन तथा चार के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूचियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

अनुसूची—एक

(नियम 5 देखिये)

मध्यप्रदेश अधीनस्थ कृषि (लिपिक वर्गीय) सेवा

अनु क्र.	पद का नाम	कुल पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	अभियुक्तियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	कनिष्ठ लेखा अधिकारी	1	तृतीय श्रेणी	5000—150—8000	प्रतिनियुक्ति का पद
2	अधीक्षक	10	तृतीय श्रेणी	5500—175—9000	
3	सहायक अधीक्षक	7	तृतीय श्रेणी	5000—150—8000	
4	संभागीय लेखापाल	12	तृतीय श्रेणी	4500—125—7000	

1061

(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5 मुख्य लिपिक/सहायक ग्रेड-1	86	तृतीय श्रेणी	4500-125-7000	सहायक ग्रेड-1 के कुल स्वीकृत पदों में से 25 प्रतिशत पद ऐसे सहायक ग्रेड-1 से सीमित विभागीय परीक्षा के माध्यम से भरे जायेंगे जो स्नातक डिग्री वाले हों और पांच वर्ष की निरंतर सेवा पद पर कर चुके हों।
6 सहायक ग्रेड-2	586	तृतीय श्रेणी	4000-100-6000	
7 लेखापाल	186	तृतीय श्रेणी	4000-100-6000	यह पद सहायक ग्रेड-2 संवर्ग का भाग रहेगा।
8 लेखा परीक्षक	35	तृतीय श्रेणी	4000-100-6000	
9 सहायक लेखा परीक्षक	56	तृतीय श्रेणी	4000-100-6000	
10 सहायक ग्रेड-3	831	तृतीय श्रेणी	3050-75-3950-80-4590.	
11 स्टेनो टायपिस्ट	4	तृतीय श्रेणी	3050-75-3950-80-4590.	
12 वरिष्ठ निज सहायक	6	तृतीय श्रेणी	6500-200-10500	
13 निज सहायक	20	तृतीय श्रेणी	5500-175-9000	
14 शीघ्र लेखक	47	तृतीय श्रेणी	4500-125-7000	

अनुसूची-दो

(नियम 6 देखिये)

मध्यप्रदेश अधीनस्थ कृषि (लिपिक वर्गीय) सेवाएं

अनु. क्रमांक	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	कुल पदों की संख्या	भरे जाने वाले कर्तव्य पदों की संख्या की प्रतिशतता	अन्य सेवाओं से स्थानान्तरण द्वारा नियम 6(ग) अनुसार	अभियुक्ति
(1)	(2)	(3)	सीधी भरती द्वारा नियम 6 (क) अनुसार	पदोन्नति द्वारा नियम 6 (ख) अनुसार	(7)
			(4)	(5)	(6)
1	अधीक्षक	10	-	100 प्रतिशत	-
2	सहायक अधीक्षक/संभागीय लेखापाल	7	-	100 प्रतिशत	-
3	मुख्य लिपिक/सहायक ग्रेड-1	86	-	100 प्रतिशत	-
4	वरिष्ठ निज सहायक	6	-	100 प्रतिशत	-

परिशिष्ट-1,

प्रति 1 से 2 लगायत

अधीक्षक

मध्यप्रदेश शासन

कृषि विकास विभाग
भारत, भोपाल